भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4078

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में जीएसटी संग्रह

4078. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले आठ वित्तीय वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में, विशेष रूप से दमन और दीव में, वर्ष-वार कुल कितना जीएसटी संग्रह किया गया;
(ख) पिछले आठ वर्षों के दौरान दमन और दीव से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले कुल व्यक्तियों और संस्थानों की संख्या का ब्यौरा क्या है और किस श्रेणी के अंतर्गत सबसे अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं; और
(ग) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में जीएसटी अनुपालन को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सकल जीएसटी संग्रह (घरेलू) का विवरण नीचे दिया गया है: - (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
2017-18	2,140
2018-19	2,823
2019-20	2,965
2020-21	2,655
2021-22	3,147
2022-23	3,774
2023-24	4,336
2024-25	4,410
2025-26 (जुलाई 25 तक)	1,652
कुल	**27,900**

(ख): प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सक्रिय करदाताओं का विवरण नीचे दिया गया है: -

निम्न के अंत में	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		
	सामान्य	संघटन	कुल योग
जुलाई 17	7,894	227	8,121
मार्च 18	12,743	675	13,447
मार्च 19	14,177	738	15,215
मार्च 20	14,078	703	15,121
मार्च 21	13,909	653	14,924
मार्च 22	14,649	626	15,671
मार्च 23	14,504	613	15,556
मार्च 24	14,799	568	15,843
मार्च 25	15,018	570	16,168

(ग): जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, सरकार ने जीएसटी में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा, कर अनुपालन के लिए सुधार के उपाय, जैसे ई-वे बिल अनिवार्य करना, आईटीसी मिलान, बी2सी आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-इनवॉइस, मशीन-आधारित विश्लेषण की व्यवस्था, पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण, नॉन-फाइलर्स, स्टॉप फाइलर्स पर कड़ी कार्रवाई, जोखिम भरे करदाताओं पर लक्षित निर्धारण-आधारित कार्रवाई आदि शामिल हैं।

*****